

मंडल की 6.9.2018 को हुई बैठक में लिए गये निर्णय

क्र.	संकल्प सं.	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
1.	111	मंडल की 2 अगस्त 2018 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि.	मंडल की 2.8.2018 को हुई बैठक के कार्यवृत्त का सुधारों / संशोधनों के साथ पुष्टि की जाती है।	सामान्य प्रशासन
2.	112	आयातक : एम्सन्स एक्ज़ीम प्रा. लि. एवं अन्य के विरुद्ध पोर्ट ट्रस्ट प्रभारों की वसूली के लिए मुकदमा दायर करना।	टिप्पणी के परिच्छेद 10 के यातायात प्रबंधक के प्रस्ताव को कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया जाता है।	यातायात
3.	113	ई-निविदा एवं ई-निलामी के माध्यम से अनिष्कासित / वेदावी मालों का निपटान - ई-निविदा एवं ई-निलामी में प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए अधिकार सौंपना।	टिप्पणी के परिच्छेद 4 तथा 6 का यातायात प्रबंधक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है।	यातायात
4.	114	बीमा मध्यस्थ अधिदेश में विस्तार।	टिप्पणी के परिच्छेद 5 का वि.स. एवं मु.ले.अ. का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है।	वित्त
5.	115	कार्गो प्रबंधन, प्रशासन, हाउसकीपिंग आदि के लिए कार्यालय स्थान के रूप में उपयोग हेतु लायसंस आधारपर 12बी इंदिरा गोदी गोदाम में प्रत्येकी 25 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के आठ कमरों के आबंटन के लिए निविदा मंगाना।	निम्न को अनुमोदन प्रदान किया जाता है - (i) 11 महीने की अवधि के लिए 8 कमरों के आबंटन को। (ii) भूमि नीति मार्गदर्शक तत्व, 2015 के स्पष्टीकरण में उल्लिखित नुसार नियमों पर लायसंस विस्तार / नवीनीकरण करने को।	यातायात
6.	116	ससून गोदी मत्स्य हार्बर, कुलाबा, मुंबई में दर्शायी वर्तमान ईमारतों के अन्दर सीटीएस सं. 5/600 (पी) में आनेवाले परिसर में प्रस्तावित विस्तार/बदलाव/आधुनिकीकरण संबंधी निर्माण अनुमति के लिए महाराष्ट्र मत्स्य विकास निगम द्वारा आवेदन। - संविक्षा, जमानत तथा मलबा की जमाराशि के भुगतान से छूट।	टिप्पणी के परिच्छेद 6 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है।	स्थापत्य

क्र.	संकल्प सं.	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
7.	117	लॉट सं एएच-1111, एएच-1112, एएच-1113, सीसी-2106, ई-1071 तथा आयआय-10619 से संबंधित बिक्री घाटा माफ करना.	टिप्पणी के परिच्छेद 5 का यातायात प्रबंधक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है।	यातायात
8.	118	मुं.पो.ट्र. रेल्वे संबंधी दरों में सुधार - मुं.पो.ट्र. रेल्वे माल प्रशुल्क सं. 5/1952 में सुधारित दरों को शामिल करने संबंधी संशोधन।	टिप्पणी के परिच्छेद 6 और 7 का रेल्वे प्रबंधक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है।	रेल प्रभाग
9.	119	संविदा आधारपर भूतपूर्व मुंबई पोर्ट पायलटों की नियुक्ति - आयु सीमा में वृद्धी।	अनुमोदन प्रदान किया जाता है - (i) टिप्पणी के परिच्छेद 4 के उप संरक्षक के प्रस्ताव को। (ii) पायलट संवर्ग में कमी की समस्या के निवारण के लिए योजना बनाने एवं कार्यान्वयन के लिए सेवानिवृत्त उप संरक्षक की नियुक्ति करने तथा इस दिशा में आगे आवश्यक कदम उठाने के लिए अध्यक्ष को अधिकृत करने को।	समुद्री
10.	120	फेरी व्हार्फ से मोरा तक यात्री लाँच सेवा - फेरी व्हार्फ में टिकट बूथ/गुमटी बिठाने के संबंधी विस्तार हेतु आर. एन. शिपिंग का अनुरोध।	टिप्पणी के परिच्छेद 15 का यातायात प्रबंधक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है, बशर्ते कि इस संबंध में भूमि नीति के प्रावधानों के मूल्यांकन एवं पुष्टीकरण के बाद भाड़े की उगाही हो।	यातायात
11.	121	मुंपोट्र पेंशन विनियम के विनियम 8 के अन्तर्गत श्री. पीतांबर बी. सिंह, पूर्व विंच ड्रायहर, वेज सं. 548, पंजीकरण सं. 10011 ओबीएल, मुंपोट्र, (1.8.2015 से मुंपोट्र सेवा से निवृत्त) के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई।	चर्चा टिप्पणी में लाये नुसार दण्ड लगाने के लिए प्रस्ताव संबंधी कारण बताओ मेमो जारी करने हेतु मंजूरी प्रदान की जाती है। इसके साथ इस मामले का किसी अन्य मामले में उदाहरण के रूप में उल्लेख नहीं होगा।	यातायात
12.	122	आयात माल पर विलंब शुल्क तथा कन्टेनरों पर लायसंस शुल्क की उगाही के लिए विस्तारित निःशुल्क दिन।	टिप्पणी के परिच्छेद 9 का यातायात प्रबंधक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है।	यातायात

क्र.	संकल्प सं.	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
13.	123	पेशन निधि, भविष्य निधि तथा पोर्ट अधिशेष निधि संबंधी निवेश मार्गदर्शन तत्व.	(i) टिप्पणी के परिच्छेद 8, 9 एवं 12 का वि.स. एवं मु.ले.अ. का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है. (ii) अतिरिक्त निवेश, जो वर्तमान मार्गदर्शन तत्वों के अन्तर्गत संभव होता है, उसे अनुमोदन के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाए.	वित्त
14.	124	निश्चित/समेकित वेतन/पारिश्रमिक पर संविदा आधार पर नियुक्त व्यावसायिकों/कार्मिकों को आवासीय मकानों के आबंटन पर भाड़े की वसूली.	टिप्पणी के परिच्छेद 2 का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	कल्याण प्रभाग
15.	125	अंतर्राष्ट्रीय कूज टर्मिनल, बीपीएक्स में निःशुल्क शॉप चलाने के लिए आबंटित क्षेत्र का हिस्सा समर्पण करने तथा लायसंस अवधि विस्तार के लिए भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा अनुरोध.	टिप्पणी के परिच्छेद 10 का यातायात प्रबंधक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	यातायात
16.	126	लॉट सं.- (i) टी-1731 (ii) डीडी - 221, डीडी -222, डीडी -223 तथा (iii) एफ -8546 के अन्तर्गत शामिल कार्गो के लिए माफी प्रस्ताव.	टिप्पणी के परिच्छेद 4 का यातायात प्रबंधक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	यातायात
17.	127	निविदा सं. डीसी-02/2017 - 5 वर्षों के लिए 2 पायलट लॉचों को भाड़े पर लेना तथा जिसे और 2 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है.	टिप्पणी के परिच्छेद 6 की निविदा समिति की सिफारिशों अनुमोदित की जाती है.	समुद्री
18.	128	विलंब प्रभारों की माफी के लिए अनुरोध जहाज : इसिनिया आयजीएम/आयटम सं. तथा दिनांक: 2192091/एसपीएमयु 2 और एसपीएमयु 3 दिनांक 10.3.2018 - पोतारोहण मुख्यालय.	विलंब शुल्क प्रभारों की 100% माफी के लिए पोतारोहण मुख्यालय के अनुरोध को स्वीकार करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया जाता है.	यातायात
19.	129	लॉट सं.- (i) ई - 6381 तथा ई - 6719 (ii) डीडी - 089 और (iii) टी - 821 के अन्तर्गत शामिल कार्गो के लिए माफी प्रस्ताव.	टिप्पणी के परिच्छेद 4 का यातायात प्रबंधक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	यातायात

क्र.	संकल्प सं.	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
20.	130	मुंपोट्र के किसी भी वाणिज्यिक कार्यालयों के सुधार के लिए तटीय नियंत्रण क्षेत्र के अनुमोदन की आवश्यकता.	टिप्पणी के परिच्छेद 4 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है।	स्थापत्य
21.	131	निविदा सं. ई. 75/2018 - पीरपाव, मुंबई स्थित द्वितीय रसायन घाट के अप्रोच चैनल की गहराई और चौड़ाई के लिए महत्वपूर्ण निकर्षण कार्य.	अध्यक्ष के अनुमोदन से वेबसाइट पर प्रदर्शित नुसार बोलीकर्ताओं को भेजे जबाब की अभिपुष्टि की जाती है।	स्थापत्य
22.	132	सलाहकार (परीयोजना) की नियुक्ति.	टिप्पणी के परिच्छेद 6 स्थित नुसार सलाहकार की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है।	मानव संसाधन प्रभाग
23.	133	निविदा सं. ई - 106/2015 - मुंपोट्र सम्पदा में उल्लिखित स्थानों पर विज्ञापन लगाना।	विचार विमर्श आस्थागित.	स्थापत्य
24.	134	हाजी बंदर स्थित सेन्ट्रल पार्क और पुर्नःउद्धार गार्डन के विकास के लिए भू-दृष्टि प्रतिरूपकार की नियुक्ति। - परामर्शदाता की नियुक्ति को अनुमोदन.	टिप्पणी के परिच्छेद 10 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है।	स्थापत्य
25.	135	नाडकर्णी पार्क के पुनर्विकास के लिए रचनाकार परामर्शदाता की नियुक्ति - परामर्शदाता की नियुक्ति हेतु अनुमोदन.	टिप्पणी के परिच्छेद 7 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है।	स्थापत्य
26.	136	प्रिसेस गोदी (मुंबई पोर्ट) स्थित एम-शेड के चारों तरफ सुविधाओं का सृजन तथा एम-शेड का विकास, प्रचालन एवं रखरखाव।	टिप्पणी के परिच्छेद 6 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है।	स्थापत्य
27.	137	फेरी व्हार्फ से मांडवा, नेरूल, नवी मुंबई तक अंतर्देशीय जल यात्री परिवहन तथा रो-पैक्स सेवा।	टिप्पणी के परिच्छेद 4 के उप संरक्षक के प्रस्ताव को कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया जाता है।	समुद्री
28.	138	निविदा ईडीपी - 207 / 2016. - मुंबई पोर्ट ट्रस्ट में प्रवेश नियंत्रण प्रणाली की आपूर्ति, प्रारंभ, रखरखाव एवं समर्थन - परिनिर्धारित नुकसानी की उगाही के साथ अतिरिक्त कार्य निष्पादन तथा विस्तार।	टिप्पणी के परिच्छेद 9 का संयुक्त निदेशक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है।	ईडीपी

क्र.	संकल्प सं.	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
29.	139	मुंबई पोर्ट ट्रस्ट अस्पताल में प्रशिक्षणार्थी परिचारिका तथा फार्मसिस्ट की नियुक्ति.	टिप्पणी के परिच्छेद 5 का मुख्य चिकित्सा अधिकारी का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है। प्रशिक्षणार्थी परिचारिका को ग्यारह महिने अथवा अस्पताल सौंपने तक, जो भी पहले होगा, के लिए लिया जाएगा।	चिकित्सा
30.	140	निविदा सं. ई 47 ए / 2017 - वर्ष 2019-20 के शेष निकर्षण तथा दो वर्ष यानी 2018-19 तथा 2019-20 के लिए मुंबई पोर्ट के अप्रोच चैनलों, टर्निंग सर्कलों, बाहरी घाटों, इंदिरा गोदी बेसिन, बंदर क्षेत्रों तथा लंगरगाहों में निकर्षण रखरखाव। - ऑफशोर कन्टेनर टर्मिनल के उत्तर में निकर्षण आवश्यकता।	टिप्पणी के परिच्छेद 5 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है, बशर्ते कि वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी की टीका-टिप्पणी का अनुपालन हो।	स्थापत्य
31.	141	जेएनपीटी - शहर के भीड़-भाड़ को कम करने तथा व्यापार मुल्य को स्थापित करने के लिए मुंबई पोर्ट बार्ज / जहाज का संचालन।	टिप्पणी के परिच्छेद 4 का यातायात प्रबंधक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है।	यातायात
32.	142	वर्ष 2017-18 से 3 वर्ष के लिए मुंबई पोर्ट के अप्रोच चैनलों, टर्निंग सर्कलों, बाहरी घाटों, इंदिरा गोदी बेसिन, बंदर क्षेत्रों तथा लंगरगाहों में निकर्षण रखरखाव। -भारतीय निकर्षण निगम (DCI) के साथ विवाद निपटान	<p>1. उपर्युक्त पैरा 10 में यथा वर्णित क्र.सं. (i) से (iv) को मण्डल ने अनुमोदित किया है।</p> <p>2. ऑफशोर कन्टेनर टर्मिनल के उत्तर में निकर्षण के लिए 140 रुपये प्रति घन मीटर की दर से भुगतान करने हेतु अधिकार प्राप्त समिति का आदेश स्वीकार करने योग्य नहीं है क्योंकि उसका कोई उचित तर्क नहीं है तथा वह न्यायोचित नहीं है।</p> <p>3. मुख्य अभियंता विस्तार से अधिकार प्राप्त समिति को लिखे।</p>	स्थापत्य

क्र.	संकल्प सं.	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
33.	143	निविदा सं. ई. 84/2018 - ससुन गोदी, कुलाबा, मुंबई में स्थित मुंबई पोर्ट ट्रस्ट इमारतों का वाणिज्यिक उपयोग.	टिप्पणी के परिच्छेद 4 में बतायेनुसार प्रस्ताव को अलग अलग करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया जाता है.	स्थापत्य
34.	144	इंदिरा गोदी, मुंबई में मुंबई अन्तरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल (MICT) के प्रचालन एवं रखरखाव के लिए प्रचालन एवं रखरखाव प्रचालन का चयन - स्थायी वित्त समिति (SFC) मेमो, प्रस्ताव हेतु अनुरोध (RFP) तथा प्रारूप रियाअत करार (DCA).	टिप्पणी के परिच्छेद 4 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य
35.	145	निकर्षण कार्यों के गहराईमापी सर्वेक्षण के लिए तीसरा पक्ष निरीक्षण एजेन्सी की नियुक्ति.	नामांकन आधार पर दो वर्षों के लिए आयआरएस नियुक्त करने तथा उनके प्रस्ताव को स्वीकार करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया जाता है.	स्थापत्य
36.	146	पीपीपी आधार पर 15 विक्टोरिया गोदी के घरेतू क्रूज टर्मिनल के प्रचालन तथा रखरखाव के लिए प्रचालन एवं रखरखाव प्रचालक का चयन.	टिप्पणी के परिच्छेद 15 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य
37.	147	मुंपोट्र ह्युजेस निर्जल गोदी तथा इंदिरा गोदी के घाट सं. 5, 6, 7 एवं 8 में जहाज मरम्मत सुविधा में सुधार प्रचालन तथा प्रबंधन के लिए कोचिन शिपयार्ड के साथ रिआयती करार.	टिप्पणी के परिच्छेद 4 का मुख्य यांत्रिकी अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	यांत्रिकी
38.	148	मुंबई के पूर्वी तट पर यात्री जल परिवहन का संचालन. - बजट संबंधी प्राक्कलन को मंजूरी.	टिप्पणी के परिच्छेद 9 का उप संरक्षक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	समुद्री
